सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 02 श्रावण, 1946 (श०)
24 जुलाई, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1)	ग्रामीण विकास विभाग - - - - -	01
	कुल योग --	01

आवास का निर्माण

5. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के प्रकाशित शीर्षक ''मुख्यमंत्री आवास योजना के 65 प्रतिशत आवास अधूरे'' के आलोक में क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत सभी 37 हजार 701 में से अभीतक मात्र 13 हजार 482 आवास ही पूर्ण है, जबकि 24 हजार 219 आवास अभीतक अपूर्ण है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2023-24 में कुल 37701 आवास निर्माण के लक्ष्य में से 33215 लाभुकों को प्रथम किस्त और 9355 लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आवास योजना के 65 प्रतिशत बकाया लक्ष्य को पूर्णियाँ सहित अन्य जिलों में कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलों को 65 हजार 713 लक्ष्य आवंटित किया गया है । इनमें से 63 हजार 531 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 31 हजार 142 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है, जो स्वीकृति के विरुद्ध 49 प्रतिशत है ।

(2) 63 हजार 531 स्वीकृत आवासों में से 62 हजार 436 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 46 हजार 720 लाभुकों को द्वितीय किस्त की सहायता राशि का भुगतान किया गया है ।

(3) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्णियाँ जिला में 2 हजार 620 आवासों की स्वीकृति दी गई है । इनमें से 1 हजार 178 आवासों (44.96 प्रतिशत) को पूर्ण कराया गया है ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में उपलब्ध होने वाली राशि तथा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 को देखते हुये विभागीय पत्रांक 2525278, दिनांक 1 फरवरी, 2024 से जिलों को 30 हजार 234 अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया था । लक्ष्य आवंटन किये हुये 5 माह का ही समय हुआ है तथा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के कारण आवास निर्माण का कार्य प्रभावित हुआ है । उक्त कारणों से कुल लक्ष्य के विरुद्ध पूर्णता का प्रतिशत कम है ।

योजना अन्तर्गत आवासों का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाता है । योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु आवास निर्माण की प्रगति के साथ सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

योजना अन्तर्गत वैसे लाभुक जो स्वीकृति एवं सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें श्वेत नोटिस, लाल नोटिस निर्गत किया जाता है । इसके बाद भी आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने पर राशि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है । अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु विभाग स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अन्य माध्यमों से नियमित अनुश्रवण किया जाता है । सरकार सभी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्पित है ।

पटना :
दिनांक 24 जुलाई, 2024 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 20(एल0ए0), 2024-25-डी0टी0पी0-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024